2008, 1 S.C.R. 1083

गणपति माधव सावंत (मृतक) जरिए विधिक प्रतिनिधि

बनाम

दत्तुर माधव सावंत

(सिविल अपील सं. 583 वर्ष 2008)

22 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत व पी. सत्तशिवम, जेजे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - धारा 100 व आदेश 20 नियम 12 - द्वितीय अपील- खारिज- इस आधार पर कि कोई विधिक प्रश्न विद्यमान नहीं है- हालांकि नोटिस जारी करते समय मध्यवर्ती लाभ प्रदान किये जाने से पूर्व आदेश 20 नियम 12 के तहत जांच की आवश्यकता के संबंध में प्रश्न उठाये गये थे - अपील में अभिनिर्णित किया गया - प्रकरण की परिस्थिति में मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील को यह मानते हुऐ खारिज कर दिया गया कि उक्त अपील में विधिक प्रश्न विद्यमान नहीं है। हालांकि नोटिस जारी करते समय, यह देखा गया था कि आदेश 20 नियम 12 सीपीसी के तहत बिना किसी जांच के मध्यवर्ती लाभ प्रदान किया जाना अनुमति योग्य नहीं था। अतः वर्तमान अपील।

आंशिक रुप से अपील स्वीकार कर, मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

अभिनिर्णित किया गया कि द्वितीय अपील निर्णित करते समय उच्च न्यायालय, यह ध्यान देने में विफल रहा कि नोटिस जारी करते समय यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया था कि वादी के द्वारा आदेश 20 नियम 12 सीपीसी के परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्ती लाभ से संबंधित जांच हेतु आवेदन नहीं किया गया था तथा जांच के बिन्दु पर विशिष्ट आवेदन के अभाव में, मध्यवर्ती लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। यद्यपि नोटिस जारी करतें समय, उच्च न्यायालय द्वारा नोट किया गया था कि यह विधि का सारभूत प्रश्न विचारार्थ उत्पन्न हुआ था, परन्तु द्वितीय अपील निर्णित करते समय उक्त बिन्दु दृष्टिहीन हो गया। इन परिस्थितियों में उक्त बिन्दु पर विचार करने हेतु मामले को उच्च न्यायालय को भेजना उचित होगा। (पेरा 7 व 8)(1086- क, ख, ग)

मोहम्मद अमीन व अन्य बनाम वकील अहमद व अन्य **AIR 1952 SC 358- निर्दिष्ट किया।**

सिविल अपीलिय क्षैत्राधिकार - सिविल अपील संख्या 583 वर्ष 2008

द्वितीय अपील संख्या- 485 वर्ष 2001 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओरंगााबाद पीठ के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 06.05.2004 के माध्यम से

सी. जी. सोलशे व विनेश सी. सोलशे- अपीलार्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत के द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति दी जाती है।

2. इस अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय ओरंगाबाद की पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा, अपीलार्थी द्वारा धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में सी.पी.सी.) के तहत प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने के आदेश को चुनौती दी गयी है। अपीलार्थी जो मुल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के उत्तराधिकारी हो, उनके द्वारा विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ओसामाबाद के द्वारा नियमित सिविल अपील संख्या 89 वर्ष 1999 में पारित डिक्री व निर्णय की सत्यता पर प्रश्न उठाया गया है,

जिसमें सिविल न्यायालय कनिष्ट खण्ड कॉलम के द्वारा नियमित सिविल वाद संख्या 62 वर्ष 1981 में पारित डिक्री की पुष्टि की गयी है। उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुऐ द्वितीय अपील खारिज कर दी गई कि उक्त अपील में कोई विधिक प्रश्न विद्यमान नहीं था तथा इसलिए द्वितीय अपील निराधार थी।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह निवेदन किया गया कि द्वितीय अपील में नोटिस जारी करते हुऐ उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रुप से देखा गया, जो इस प्रकार है-

> "अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस अन्य आधार पर तर्क प्रस्तुत किया गया कि वाद में वादी के द्वारा आदेश 20 नियम 12 के तहत मध्यवर्ती लाभ के संबंध में जांच करवाये जाने हेतु निवेदन नहीं किया गया था तथा जांच के संबंध में उक्त विशिष्ट आवेदन के अभाव में, अधिनस्थ न्यायालयों के द्वारा मध्यवर्ती लाभ प्रदान नहीं किये जाने चाहिए थे। उक्त निर्देश विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के क्रियात्मक भाग के खण्ड-4 में अंकित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मोहम्मद

आमीन व अन्य बनाम वकील अहमद व अन्य में स्पष्ट रुप से कॉलम संख्या-20 पर मत जाहिर किया गया। इस मामले में छः सप्ताह में लौटने वाले नोटिस, प्रवेश चरण से पूर्व जारी करना, केवलमात्र विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियात्मक भाग के खण्ड-4 को छुता है, जिसमें आदेश 20 नियम 12 के तहत मध्यवर्ती लाभ के संबंध में जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रत्यार्थीयों को सुचित किया जाता है कि अपील पर अंतिम रुप से सुनवाई की जाएगी तथा प्रवेश चरण में निर्णय पारित किया जायेगा।''

4. इस प्रकार से यह बताया गया है कि आदेश 20 नियम 12 सीपीसी के अनुसार बिना जांच करवाये मध्यवर्ती लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति नहीं थी।

5. प्रत्यार्थी की ओर से कोई अपस्थित नहीं है।

6. मोहम्मद अमीन व अन्य बनाम वकील अहमद व अन्य (AIR 1952 SC 358) में अन्य तथ्यों के साथ यह भी देखा गया कि-

''यह कि तथापि एस. पी. सिन्हा के द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा वादीगण को मध्यवर्ती लाभ प्रदान

कर त्रुटि कारित की गयी है जबकि वाद पत्र में ऐसी कोई मांग नहीं की गयी थी। वादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायभिकर्ता के द्वारा स्वीकार किया गया कि ऐसे तो मध्यवर्ती लाभ हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया था, परन्तु निवेदन किया गया कि व्यापक स्तर पर मध्यवर्ती लाभ के दावे को उपरोक्त संपत्ति पर कब्जा तथा उपभोग प्रदान करने वाली अभिव्यक्ति के साथ-साथ, उससे जुडे सभी अधिकारो को सम्मिलित किया जाएगा। हमें आशंका है कि मध्यवर्ती लाभ का दावा, इस अभिव्यक्ति के साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता तथा उच्च न्यायालय के द्वारा वादीगण को मध्यवर्ती लाभ प्रदान कर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि उनके द्वारा ऐसा कोई दावा अपने वादपत्र में नहीं किया गया है। इसलिए डिक्री में मध्यवर्ती लाभ से संबंधित प्रावधान को हटाना होगा। हम प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की अपील को खारिज कर, उच्च न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में पारित डिक्री में से मध्यवर्ती लाभ के प्रावधान को हटाकर, उक्त डिक्री की पुष्टि करते है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से खर्चा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।"

7. उच्च न्यायालय, द्वितीय अपील निर्णित करते समय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि, नोटिस जारी करते समय यह स्पष्ट रुप से नोट किया गया था कि वादी ने आदेश 20 नियम 12 सीपीसी के तहत मध्यवर्ती लाभ से संबंधित जांच के लिए आवेदन नहीं किया था तथा यह बिन्दु की, किसी भी जांच के लिए किसी विशिष्ट आवेदन के अभाव में, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

8. जैसा की अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सही तर्क प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि नोटिस जारी करते समय उच्च न्यायालय द्वारा नोट किया गया था कि विधि का सारभुत प्रश्न विचार करने हेतु उत्पन्न हुआ था, परन्तु द्वितीय अपील निर्णित करते समय उक्त पहलु दृष्टिगत हो गया। इन परिस्थितियों में, उक्त पहलु पर विचार करने हेतु मामला उच्च न्यायालय को भेजना उचित प्रतीत होता है।

9. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती हैं

अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी बिलोची (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।